न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–7/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.

(पी.ए.)ऐक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या–102 सन 2017

शिवकली बनाम सुरेन्द्र आदि

10.04.2018

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। तलबी के प्रश्न पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी/परिवादिनी शिवकली द्वारा विपक्षीगण सुरेन्द्र यादव, फूल सिंह, सर्वेश, चरन सिंह, दीपू एवं अहिबरन के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र मुख्य रूप से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी गरीब चमार जाति की महिला तथा विपक्षीगण यादव जाति के दबंग व झगड़ालू व्यक्ति हैं। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पति रामप्रकाश दिनांक 10.02.17 को समय करीब पांच बजे शाम गोडाराव की बाजार से सब्जी लेकर आ रहे थे कि नहर की पुलिया पर विपक्षीगण बैगनआर गाड़ी यू०पी० 30 एस 5444 से आ गये तथा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को रोक कर पति पर देशी असलहा लगा कर प्रार्थिनी के सोने के कुंडल व पायल व दो हजार रुपये लूट लिये। प्रार्थिनी ने जब इसका विरोध किया तब प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को मां–बहन की गन्दी–गन्दी जातिसूचक शब्द साली चमरिया कहकर गन्दी–गन्दी गालियां देते हुये लातघूसों से मारने–पीटने लगे। प्रार्थिनी के चिल्लाने पर गांव के राकेश व शिवमंगल व मौके पर तमाम लोग आ गये, जिनके ललकारने पर विपक्षीगण गाली–गलौज करते हुये व साली चमरिया कहते हुये रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना को वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने देखा है। प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी महोदय तथा अन्य उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दी। कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद दायर कर रही है।

परिवादिनी शिवकली ने अपना बयान अन्तर्गत धारा 200 दं० प्र० सं० तथा पी० डब्ल्यू०–1 राकेश, पी० डब्ल्यू०–2 सरोज कुमार एवं पी० डब्ल्यू०–3 रामप्रकाश का बयान अन्तर्गत धारा 202 दं० प्र० सं० न्यायालय में अंकित कराया है।

परिवादिनी व विपक्षीगण एक ही गांव के निवासी हैं। ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत विपक्षीगण सुरेन्द्र यादव, फूल सिंह, सर्वेश, चरन सिंह, दीपू एवं अहिबरन के विरूद्ध केवल अपराध अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा० दं० सं० एवं धारा–3 (1) (10) एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०) ऐक्ट के तहत प्रथमदृष्टया अपराध बनना प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, फूल सिंह, सर्वेश, चरन सिंह, दीपू एवं अहिबरन को धारा–323, 504, 506 भा० दं० सं० एवं धारा 3 (1) (10) एस० सी०/एस० टी० (पी० ए०) ऐक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो। पैरवी अंदर सप्ताह में की जाए। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 11.05.2018 को पेश हो।

(रामकरन–।।)

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–7/

विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी (पी.ए.)ऐक्ट,

हरदोई।

10.04.18